



Neutral Citation No.- 2026:AHC:13784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-42046 वर्ष 2024

राजेश कुमार आदिवासी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दिनेश चंद्र द्विवेदी, हरि ओम राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: चंद्र प्रकाश सिंह, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
2. आज दायर किए गए दूसरे और तीसरे पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री हरि ओम राय, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
4. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302 भ०द०वि०, थाना-खीरी, जिला: प्रयागराज के तहत 2024 के मुकदमा अपराध संख्या-93 में जमानत मांगी है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि परीक्षण घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है। अब तक कुल सात गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। सूचनाकर्ता ने उसी दिन, यानी 14.05.2025 को अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। इसके बाद, तीन चश्मदीद गवाहों, अर्थात् अ०सा०-2, अ०सा०-3, और अ०सा०-4 से पूछताछ की गई, और उन्होंने अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष की कहानी का भी समर्थन नहीं किया, जो उनके पहले के बयानों से पूरी तरह से अलग थे, और पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई। प्रस्तुत मामले में आवेदक की सजा की कोई संभावना नहीं है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि एक नया गवाह, सूरज कुमार, जिसे अ०सा०-5 के रूप में जांच की गई थी, को घटना के 20 दिन बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया था, और वह एकमात्र गवाह है जिसने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 07.06.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सके।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 11.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सात गवाहों से पूछताछ की गई है और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष के चार गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- **राजेश कुमार आदिवासी**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)